न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 99/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 31.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र भोज्या उर्फ भोजा जाति भाट
2. मांगीलाल आत्मज भोज्या उर्फ भोजा जाति भाट
3. नर्मदा बाई पुत्री भोज्या उर्फ भोजा जाति भाट
4. सीमा बाई पुत्री भोज्या उर्फ भोजा जाति भाट
5. मोहनी बाई बेवा भोज्या उर्फ भोजा जाति भाट
   निवासीगण ग्राम देवरिया तहसील एवं जिला बून्दी

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. महावीर तथाकथित पुत्र मोहन वास्तविक पुत्र नन्दा जाति भाट
2. मदन पुत्र स्व0 कालू जाति भाट
3. गीता बाई पुत्री स्व0 कालू जाति भाट
4. शंकरलाल आत्मज कालू जाति भाट
   निवासीगण ग्राम देवरिया तहसील एवं जिला बून्दी
5. तहसीलदार तालेड़ा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री कुलदीप सिंह गौड़ अभिभाषक –अपीलांट
श्री चन्द्र प्रकाश गोचर अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 2, 3 एवं 4
श्री भानूप्रताप सिंह अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 12.08.2025

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 23/प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बउनवान महावीर बनाम राजाराम में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

12-8-2025
अति. स. आयुक्त
कोटा

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र. 1 महावीर दत्तक पुत्र मोहन जाति भाट निवासी देवरिया के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या –1 बून्दी के निर्णय, न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय, जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 एवं नामांतरकरण संख्या 175 दिनांक 15.09.2011 की प्रतिलिपि संलग्न कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवरिया स्थित आराजी खसरा सं0 2046/832 रकबा 5 बीघा, खसरा सं0 2062/886 रकबा 2 बीघा एवं खसरा सं0 2109/1277 रकबा 10 बीघा किता 3 रकबा 17 बीघा भूमि जो कि पूर्व में मोहन आत्मज जग्गा कौम भाट निवासी देवरिया के खातेदारी में दर्ज थी, पर प्रार्थी/रेस्पो0 क्र. 1 महावीर दत्तक पुत्र मोहन जाति भाट के नाम नामांतरकरण दर्ज कर तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल–दरामद किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 2046/832 रकबा 5 बीघा, खसरा सं0 2062/886 रकबा 2 बीघा एवं खसरा सं0 2109/1277 रकबा 10 बीघा किता 3 रकबा 17 बीघा भूमि पर खातेदार मोहन आत्मज जग्गा जाति भाट सा0देह एवं नामांतरकरण संख्या 175 दिनांक 15.09.2011 से दर्ज मदन शंकर पि0 कालू, गीता पुत्री कालू, सुवाबाई बेवा कालू, कौम भाट सा0 देह के स्थान पर महावीर दत्तक पुत्र मोहन कौम भाट सा0 देह के नाम दर्ज किये जाने (किसी सक्षम न्यायालय का उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद/स्थगन नहीं होने की स्थिति में) का निर्णय दिनांक 15.09.2016 पारित किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तालेड़ा के उक्त निर्णय दिनांक 15.09.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2016 आर्बीट्रेरी, केप्रिशियस तथा पर्वस है तथा कानूनी सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.9.2016 पारित किया है उसमे अधीनस्थ न्यायलय ने यह उल्लेखित किया कि रेस्पो0 नं0 1 महावीर को दिनांक 16. 3.2013 को दीवानी न्यायालय ए.डी.जे.नं0 1 बूंदी द्वारा दत्तक पुत्र मोहन भाट का घोषित कर रखा है और इसी को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तालेडा द्वारा उपरोक्त आलोचित आदेश दिनांक 15.9.2016 पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ

17-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

न्यायालय ने दीवानी न्यायालय ए.डी.जे.क्रम 1 के निर्णय दिनांक 16.3.2013 के आधार पर उपरोक्त आलोचित निर्णय दिनांक 15.9.2016 पारित किया है। चूंकि दीवानी न्यायालय मे प्रस्तुत प्रकरण की जानकारी अपीलाण्ट को नही थी तथा जैसे ही जानकारी हुयी अपीलाण्ट ने एक दीवानी प्रकरण सं० 15/2014 पेश कर निर्णय दिनांक 16.3.2013 को अपीलाण्ट के प्रति प्रभावशून्य घोषित करने की प्रार्थना की थी जिस पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं० 1 बूंदी द्वारा अपीलाण्ट के पिता/पति भोज्या एवं रेस्पोडेन्ट मदन, शंकर, गीता, सुवा बाई (मृतक) द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण को मंजूर करके स्वंय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.3.2013 को जिसमे महावीर को मृतक मोहन भाट का दत्तक पुत्र माना था उस निर्णय एवं डिक्री को वादीगण के अधिकारो के प्रति प्रभावशून्य घोषित करते हुए पारित की थी तथा यह भी आदेश दिया था कि तहसीलदार तालेड़ा उपरोक्त आदेश दिनांक 16.3.2013 के आधार पर कोई राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन आदि ना करे। इससे स्पष्ट है कि जब न्यायालय ए.डी. जे. क्रम 1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2013 को अपने ही निर्णय दिनांक 26.09.2018 के माध्यम से प्रभाव शून्य/निरस्त घोषित कर दिया था तो ऐसे मे उपरोक्त निर्णय दिनांक 16. 03.2013 के आधार रेस्पो0 महावीर को मृतक मोहन भाट का दत्तक पुत्र मानते हुए ऐसा निर्णय पारित नही किया जा सकता। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9. 2016 गैरकानूनी है, जिसे निरस्त किया जावे। प्रश्नगत प्रकरण मे यह भी स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 15.09.2016 को जो निर्णय तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित किया गया था उस समय अपीलाण्ट के पिता/पति भोज्या उर्फ भोजा मौजूद नहीं थे तथा उनकी मृत्यु निर्णय से पूर्व दिनांक 19.02.2016 को हो चुकी थी तथा भोज्या के वारिसों को पक्षकार बनाए बिना तथा उन्हे सुने बिना ही उपरोक्त प्रकरण मे निर्णय दिनांक 15.09.2016 पारित कर दिया जबकि किसी भी पक्षकार की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसों को पक्षकार बनाए बिना निर्णय पारित नही किया जा सकता इसलिए निर्णय दिनांक 15.09.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। मोहन भाट के अपीलाण्ट एवं रेस्पो नं0 2 लगायत 4 वैद्य वारिस है और वैद्य वारिसों के जीवित रहते हुए महावीर को किसी भी सूरत मे दत्तक पुत्र मानकर निर्णय पारित नही किया जा सकता तथा जहां तक न्यायालय ए.डी. जे. क्रम 1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2013 का प्रश्न है, उसके संबन्ध मे निवेदन है कि न्यायालय ए.डी. जे. क्रम 1 बूंदी द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2018 के माध्यम से महावीर के संबन्ध मे पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2013 को अपीलाण्ट के पिता भोज्या एवं रेस्पो0 नं 2 लगायत 4 के विरुद्ध प्रभावशून्य घोषित करते हुए उपरोक्त आदेश दिनांक 16.03.2013 के

12-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

विरुद्ध किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड मे संशोधन नही करने के निर्देश जारी कर रखे थे इसलिए उपरोक्त निर्णय दिनांक 15.09.2016 विधि विरुद्ध है, जो निरस्तनीय है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पिता/पति को पक्षकार बनाया था तथा उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलाण्ट को कायम मुकामान ना बनाकर दिनांक 15.09.2016 को निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को कायम मुकामान नहीं बनाये जाने से उपरोक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को नही थी चूंकि निर्णय अपीलाण्ट के पिता/पति की मृत्यु उपरान्त हुआ है, इसकी जानकारी रेस्पो नं0 1 महावीर द्वारा मौके पर आकर कब्जा छोडने की बात दिनांक 17.11.2020 को धमकी दी और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2016 की प्रति दिखायी तब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त कर जाकर अपील जानकारी से अपील पेश करने में हुए विलम्ब का सद्भाविक होने से अंदर मियाद मानी जावे। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.9.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 नं 2 लगायत 4 को मृतक मोहन भाट के स्थान पर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित किए जाने के आदेश तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी को दिए जावे।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि रेस्पो0 क्र.1 महावीर के द्वारा पूर्व में तहसीलदार, बून्दी के मिसल सं0 40/2011 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष पेश की गई थी। जिसमें प्रकरण संख्या 137/2011 बउनवान महावीर बनाम भोजा वगे0 में दिनांक 20.06.2012 से निर्णय पारित किया गया, किंतु नामांतरकरण तस्दीक करने के उक्त आदेश दिनांक 04.08.2011 को निरस्त नहीं किया गया है और न हीं किसी न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया हैं। अपीलाण्ट ने एक दीवानी प्रकरण सं० 15/2014 पेश कर निर्णय दिनांक 16.3.2013 को अपीलाण्ट के प्रति प्रभावशून्य घोषित करने की प्रार्थना की थी जिस पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं० 1 बूंदी द्वारा अपीलाण्ट के पिता/पति भोज्या एवं रेस्पोडेन्ट मदन,

12-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

शंकर, गीता, सुवा बाई (मृतक) द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण को मंजूर करके स्वंय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.3.2013 को जिसमे महावीर को मृतक मोहन भाट का दत्तक पुत्र माना था उस निर्णय एवं डिक्री को वादीगण के अधिकारो के प्रति प्रभावशून्य घोषित करते हुए पारित की थी तथा यह भी आदेश दिया था कि तहसीलदार तालेड़ा उपरोक्त आदेश दिनांक 16.3.2013 के आधार पर कोई राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन आदि ना करे। इससे स्पष्ट है कि जब न्यायालय ए.डी. जे. क्रम 1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2013 को अपने ही निर्णय दिनांक 26.09.2018 के माध्यम से प्रभाव शून्य/निरस्त घोषित कर दिया था तो ऐसे मे उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.03.2013 के आधार रेस्पो0 महावीर को मृतक मोहन भाट का दत्तक पुत्र मानते हुए ऐसा निर्णय पारित नही किया जा सकता। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9.2016 गैरकानूनी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीवानी न्यायालय ए.डी.जे.क्रम 1 के निर्णय दिनांक 16.3.2013 के आधार पर उपरोक्त आलोचित निर्णय दिनांक 15.9.2016 पारित किया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया कि वर्ष 2011 को नामांतरकरण आजदिनांक तक यथावत हैं। साथ ही न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के दीवानी प्रकरण सं 15/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2018 के विरूद्ध वाद संख्या 989/2018 एसबी सिविल अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के द्वारा उक्त वाद में स्थगन आदेश जारी किया गया है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा केवल नियमित वाद की विषयवस्तु पर ही स्थगन दिया गया है तथा उक्त स्थगन रेस्पे0 के पक्ष में नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.09.2016 को निर्णय पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा वर्ष 2022 में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये 4 वर्ष के विलम्ब का अपीलांट के द्वारा कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रथमदृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं, इस संबंध में RRD 1998 Page No. 420 के अनुसार मियाद के बिन्दु के आधार पर अपील खारिज की जानी चाहिए। क्योंकि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रारम्भ से ही जानकारी रही हैं। रेस्पो0 के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के यहां दत्तक से संबंधित वाद पेश किया

12-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

गया था। माननीय न्यायालय हाज़ा के पूर्व के प्रकरण संख्या 137/2011 बउनवान महावीर बनाम भोजा वगे0 में पारित दिनांक 20.06.2012 के समय अपीलांट उपस्थित थे तथा माननीय न्यायालय के द्वारा तत्समय सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही निर्णय पारित किया गया था, इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को जानकारी थी। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 को दत्तक पुत्र माना है। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा प्रारम्भ से ही राजस्व एवं दीवानी न्यायालयों में पैरवी की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 1 रूल 27 सीपीसी के साथ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के अपील प्रकरण संख्या 989/2018 से न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के निर्णय दिनांक 26.09.2018 पर स्थगन आदेश जारी किया गया हैं। इस प्रकार रेस्पो0 के पक्ष में खोला गया नामांतरकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय हाजा के स्तर पर निर्णय नहीं हो सकता हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पेश कर अपीलार्थी के द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के पिता/पति के मृत्यु के उपरांत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को रेस्पो0 क्र.1 महावीर के मौके पर आकर कब्जा छोड़ने की बात कही जाने पर दिनांक 17.11.2020 को हुयी तथा इसके उपरांत नकल निर्णय दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त होने के उपरांत अपील पेश किया जाना संभव हो सका। अतः अपील पेश करने में हुय विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए उक्त अवधि को कंडोन की जावे। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है अपील पेश करने में हुये 4 वर्ष के विलम्ब का अपीलांट के द्वारा कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रथमदृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं, इस संबंध में **RRD 1998 Page No. 420** के अनुसार मियाद के बिन्दु के आधार पर अपील खारिज की जानी चाहिए। क्योंकि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रारम्भ से ही जानकारी रही हैं। रेस्पो0 के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के यहां दत्तक से संबंधित वाद पेश किया गया था। माननीय न्यायालय हाजा के पूर्व के प्रकरण संख्या 137/2011 बउनवान महावीर बनाम भोजा वगे0 में पारित दिनांक 20.06.2012 के समय

12-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपीलांट उपस्थित थे तथा माननीय न्यायालय के द्वारा तत्समय सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही निर्णय पारित किया गया था, इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को जानकारी थी। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 को दत्तक पुत्र माना है। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा प्रारम्भ से ही राजस्व एवं दीवानी न्यायालयों में पैरवी की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट के पिता/पति भोजराज भाट की मृत्यु दिनांक 19.02.2016 को होना प्रकट होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 15.09.2016 को पारित किया गया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलांट के पिता/पति भोजा पुत्र स्व0 कालू को पक्षकार बनाया गया था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अपीलांट के पिता/पति भोजराज भाट की मृत्यु दिनांक 19.02.2016 को होने के उपरांत दिनांक 15.09.2016 को निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को का0 मुकामान नहीं बनाया जाना प्रकट होता है। रेस्पो0 के द्वारा भी उक्त तथ्यों का न्यायालय हाजा के समक्ष खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की दृष्टि से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

8. प्रस्तुत प्रकरण का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिषाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 महावीर दत्तक पुत्र मोहन जाति भाट निवासी देवरिया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 2046/832 रकबा 5 बीघा, खसरा सं0 2062/886 रकबा 2 बीघा एवं खसरा सं0 2109/1277 रकबा 10 बीघा किता 3 रकबा 17 बीघा भूमि पर खातेदार मोहन आत्मज जग्गा जाति भाट सा0देह एवं नामांतरकरण संख्या 175 दिनांक 15.09.2011 से दर्ज मदन शंकर पि0 कालू, गीता पुत्री कालू, सुवाबाई बेवा कालू, कौम भाट सा0 देह के स्थान पर महावीर दत्तक पुत्र मोहन कौम भाट सा0 देह के नाम दर्ज किये जाने (किसी सक्षम न्यायालय का उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद/स्थगन नहीं होने की स्थिति में) का निर्णय दिनांक 15.09.2016 पारित किया गया।

21-8-2025
अति० सं० आयुक्त
कोटा

9. प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2016 सिविल न्यायालय के दत्तक घोषित करने के आधार पर दिया गया, जिससे इंतकाल तस्दीक होना प्रकट होता हैं। उक्त सिविल न्यायालय का निर्णय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बून्दी के निर्णय दिनांक 26.09.2018 से निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद पेश किया गया, जो जैरकार हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त बाबत् स्थगन आदेश जारी किया गया है। चूंकि दत्तक ग्रहण का प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार है। ऐसी स्थिति में हम इस स्तर पर नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में कोई निर्णय दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

12-8-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा